(1)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE , NEW DELHI -110002.

4038/SS(A) 23/08/11

No.F81/5/2011-GAD/NCTD / 602-609 7016 Dated: 18/08/2011

Dy. No...... Pr.Sr. of Pr. Secy.(U.D.) Date 23-08-11

To

1. The Librarian .Govt. of NCT Delhi (Delhi Legis;ative Assembly Secretariat) 1 Copy
2. The Department of Archives Govt. of NCT of Delhi 2 Copies
3. The Joint Registrar, Judge Library,Supreme Court of India, Ground Floor,Legislation Section New Delhi (w.r.t.No.F.3/3/SCLG/1996 dt.22.2.1996) 5 Copies
4. The Additional Secretary to lt. Governor Raj Niwas, Delhi -110054 1 Copy
5. HOD.,LAND & BUILDING 5 Copy
6. HOD.,LAW,JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 5 Copy
7. HOD.,TRADE & TAXES 5 Copy
8. HOD.,URBAN DEVELOPMENT 5 Copy

Subject: **Copies of Delhi Gazette**

23/8/11 DS(A) 24/08 OS(A)

Sir/Madam

I am directed to enclose herewith printed copies each of Delhi Gazette as mentioned above for information and record.

Extra -ordinary/Ordinary	N.C.T.D. No.	Issues No.	Part
Extra Ordinary	95	120	IV sec -

Kindly acknowledge the receipt.

Asstt Programmer 24/8

Yours Faithfully,

19/8/2011

Encls: A/A

(PRABHAT KUMAR THAKUR)
(SUPERINTENDENT (GAD/CN))

ALL GAZETTE NOTIFICATIONS TO BE UPLOADED ON THE WEBSITE OF THE DEPARTMENTS AS PER DIRECTION OF THE CIC IN DECISION NO. CIC/SG/C/2010/001294/14035 DATED 11/08/2011. PLEASE REFR TO THE CIRCULAR NO. F.81/1/2009/GAD/CN/RTI/DSGADIII/893-894 DATED 18/08/2011.

SS(ADMN)

Dairy No 2582 CS(UD) Dated 24/8

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 120] DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. एफ 9(4)/08/भू.व भ./भू.अ./5136.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनागत विकास हेतु महरौली नई दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)
महरौली	40–10		

खसरा नम्बर नया 941 (पुराना 1498) 3-13, नम्बर नया 942 (पुराना 1499) 0-13, नम्बर नया 943 (पुराना 1500) 0-11, नम्बर नया 945 (पुराना 1502) 1-18, नम्बर नया 946 (पुराना 1503) 0-11, नम्बर नया 952 (पुराना 1508) 1-03, नम्बर नया 953 (पुराना 1509), 1-04, नम्बर नया 954 (पुराना 1510) 0-08, नम्बर नया 955 (पुराना 1511) 0-09, नम्बर नया 963 (पुराना 1519) 1-03, नम्बर नया 703 (पुराना 1303) 0-13, नम्बर नया 704 (पुराना 1304) 0-18, नम्बर नया 705 (पुराना 1305) 0-19, नम्बर नया 707(पुराना

1307) 0-18, नम्वर नया 710 (पुराना 1309) 0-18, नम्बर नया 711 (पुराना 1310) 1-14, नम्बर नया 712 (पुराना 1311) 1-10, नम्बर नया 713 (पुराना 1312) 1-10, नम्वर नया 714 (पुराना 1313) 0-17 नम्बर नया 715 (पुराना 1314) 0-17, नम्बर नया 716 (पुराना 1315) 4-16, नम्बर नया 717 (पुराना 1316) 4-05, नम्बर नया 718 (पुराना 1317) 2-05, नम्बर नया 736(पुराना 1329) 4-02, नम्बर नया 738 (पुराना 1331) 1-00 नम्बर नया 739 (पुराना 1332) 0-17, नम्बर नया 740 (पुराना 1333) 1-18, नम्बर नया 743 (पुराना 1336) 0-15, नम्बर नया 914 (पुराना 1472) 0-10, नम्बर नया 918 (पुराना 2695/1475) 0-10, नम्बर नया 912 (पुराना 2855/1470) 0-02, नम्बर नया 723 (पुराना 1322) 1-03.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 9(4)/08/L & B/LA/5136.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi (PDD) at Mehrauli, New Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Mehrauli	44 Bigha 10 Biswa		

Khasra No. New 941(old 1498) 3-13, New 942 (old 1499) 0-13, New 943 (old 1500) 0-11, New 945 (old 1502) 1-18, New 946 (old 1503) 0-11, New 952(old 1508) 1-03, New 953 (old 1509) 1-04, New 954 (old 1510) 0-08, New 955 (old 1511) 0-09, New 963 (old 1519) 1-03, 703 (old 1303) 0-13, New 704 (old 1304) 0-18, New 705 (old 1305) 0-19, New 707(old 1307) 0-18, New 710 (old 1309) 0-18, New 711(old 1310) 1-14, New 712 (old 1311) 1-10, New 713 (old 1312) 1-10, New 714 (old 1313) 0-17, New 715 (old 1314) 0-17, New 716 (old 1315) 4-16, New 717 (old 1316) 4-05, New 718 (old 1307) 2-05, New 736 (old 1329) 4-02, New 738 (old 1331) 1-00, New 739 (old 1332) 0-17, New 740 (old 1333) 1-18, New 743 (old 1336) 0-15, New 914 (old 1472) 0-10, New 918 (old 2695/1475) 0-10, New 912 (old 2855/1470) 0-02, New 723 (old 1322) 1-03.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 6/31/97-न्याय/898-903.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके डॉ. शहाबुद्दीन को उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति तिथि 4-1-2006 से शीघ्र निपटान (फास्ट ट्रेक) न्यायालय के तब विद्यमान रिक्त गैर संवर्ग पदों में से एक पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 6/31/97-Judl./ 898-903.— The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint Dr. Shahabuddin to Delhi Higher Judicial Service on ad hoc basis against one of the then existing vacant ex-cadre posts meant for Fast Track Courts, w.e.f. 4-1-2006, the date his juniors were promoted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 7 (400)/नीति/वैट/2011/355-368.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, एतद्द्वारा ई-भुगतान के लिए पूर्व प्रदत्त योजना के अन्तर्गत दो और बैंकों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कर अर्थदंड, ब्याज या अन्य किसी प्रकार के देय के ई-भुगतान के लिए सम्मिलित करता हूँ।

अधिसूचना फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/929, दिनांक 17-3-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/341, दिनांक 8-9-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/130, दिनांक 15-6-2009; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/864, दिनांक 2-3-2010; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/1878-89, दिनांक 6-1-2011 और फा. सं. 7 (400)/नीति/वैट/2011/280-292, दिनांक 6-7-2011 के द्वारा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त निम्न दो बैंक भी ई-भुगतान के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

उपरोक्त बैंकों के खाताधारक डीलर्स, जिनका कर निर्धारण मासिक है इस ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करेंगे तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत देय कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्य किसी भी प्रकार के देय का भुगतान अनिवार्यत: ई-भुगतान द्वारा करेंगे। दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम 3 के उद्देश्य से यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नम्बर (19 डिजीट सी. आई. ए.) वाले चालान का सी पार्ट रिटर्न के साथ भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उपरोक्त सी. आई. एन. इन्टरनेट के द्वारा भुगतान के समय संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा चालान के सी पार्ट पर अंकित किया जायेगा।

डीलर्स अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंकों से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं।

उपरोक्त दोनों बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 7(400)/Policy/VAT/2011/355-368.—In exercise of the powers conferred under sub-rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby include two more banks in the already provided scheme for payment of tax, interest, penalty or any other dues under the DVAT Act, 2004, through electronic payment.

In addition to the already notified banks *vide* notifications No.F.7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/929 dated 17-3-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT /2005-06/341 dated 8-9-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT/2005-06/130 dated 15-06-2009; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/864 dated 2-3-2010; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/1878-89, dated 6-1-2011, and No. 7(400)/Policy/VAT/2011/280-292 dated 6-7-2011 the following banks are authorized to extend 'e'-payment facilities to the dealers: —

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India.

Dealers having bank accounts with these banks and having monthly tax period shall avail of the 'e'-payment facility compulsorily, for making payment of tax, interest, penalty or any other amount due under DVAT Act, 2004 . Part 'C'

of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Concerned Bank's website) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of Rule 28 of DVAT Rules, 2005.

The dealers will obtain signed and stamped copy of Part 'D' of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

These two banks shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 4 (3)/2008/यूडी/भाग 1/7659.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 3 के उप-उपनियम (3) में दी गई तालिका के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

उपयोग	घटक
"होटल (पंचतारा एवं पंचतारा से अधिक सुविधायुक्त)	4"

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 4 (3)/2008/UD/Pt.1/7659.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual Rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 24th February, 2009, in the table given in sub-Bye-Law 3 add at the following at the end of table:—

Use	Factor
"Hotel (5 star and above)	4"

सं. फा. 4(3)/2008/यूडी/भाग 1 7669.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 5 के उप-उपनियम (2) के उपरान्त, निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

''बशर्ते उप-उपनियम (1) के खण्ड (क्लाज)(3) एवं (5) के संबंध में मूल्यांकन समिति वर्ष 2009-2010 के लिए अपनी अनुशंसाएं देगी।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

No. F. 4(3)/2008/UD/Pt.1/7669.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual-rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, dated 24th February, after sub-Bye-Law (2) of Bye-Law 5, add the following :—

"Provided that in respect of clause (iii) and (V) of sub-bye-law (1) the valuation committee shall give its recommendation for the year 2009-2010 as well."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 120] DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. एफ 9(4)/08/भू.व भ./भू.अ./5136.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनागत विकास हेतु महरौली नई दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)
महरौली	40–10		

खसरा नम्बर नया 941 (पुराना 1498) 3-13, नम्बर नया 942 (पुराना 1499) 0-13, नम्बर नया 943 (पुराना 1500) 0-11, नम्बर नया 945 (पुराना 1502) 1-18, नम्बर नया 946 (पुराना 1503) 0-11, नम्बर नया 952 (पुराना 1508) 1-03, नम्बर नया 953 (पुराना 1509), 1-04, नम्बर नया 954 (पुराना 1510) 0-08, नम्बर नया 955 (पुराना 1511) 0-09, नम्बर नया 963 (पुराना 1519) 1-03, नम्बर नया 703 (पुराना 1303) 0-13, नम्बर नया 704 (पुराना 1304) 0-18, नम्बर नया 705 (पुराना 1305) 0-19, नम्बर नया 707(पुराना

1307) 0-18, नम्वर नया 710 (पुराना 1309) 0-18, नम्बर नया 711 (पुराना 1310) 1-14, नम्बर नया 712 (पुराना 1311) 1-10, नम्बर नया 713 (पुराना 1312) 1-10, नम्वर नया 714 (पुराना 1313) 0-17 नम्बर नया 715 (पुराना 1314) 0-17, नम्बर नया 716 (पुराना 1315) 4-16, नम्बर नया 717 (पुराना 1316) 4-05, नम्बर नया 718 (पुराना 1317) 2-05, नम्बर नया 736(पुराना 1329) 4-02, नम्बर नया 738 (पुराना 1331) 1-00 नम्बर नया 739 (पुराना 1332) 0-17, नम्बर नया 740 (पुराना 1333) 1-18, नम्बर नया 743 (पुराना 1336) 0-15, नम्बर नया 914 (पुराना 1472) 0-10, नम्बर नया 918 (पुराना 2695/1475) 0-10, नम्बर नया 912 (पुराना 2855/1470) 0-02, नम्बर नया 723 (पुराना 1322) 1-03.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 9(4)/08/L & B/LA/5136.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi (PDD) at Mehrauli, New Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Mehrauli	44 Bigha 10 Biswa		

Khasra No. New 941(old 1498) 3-13, New 942 (old 1499) 0-13, New 943 (old 1500) 0-11, New 945 (old 1502) 1-18, New 946 (old 1503) 0-11, New 952(old 1508) 1-03, New 953 (old 1509) 1-04, New 954 (old 1510) 0-08, New 955 (old 1511) 0-09, New 963 (old 1519) 1-03, 703 (old 1303) 0-13, New 704 (old 1304) 0-18, New 705 (old 1305) 0-19, New 707(old 1307) 0-18, New 710 (old 1309) 0-18, New 711(old 1310) 1-14, New 712 (old 1311) 1-10, New 713 (old 1312) 1-10, New 714 (old 1313) 0-17, New 715 (old 1314) 0-17, New 716 (old 1315) 4-16, New 717 (old 1316) 4-05, New 718 (old 1307) 2-05, New 736 (old 1329) 4-02, New 738 (old 1331) 1-00, New 739 (old 1332) 0-17, New 740 (old 1333) 1-18, New 743 (old 1336) 0-15, New 914 (old 1472) 0-10, New 918 (old 2695/1475) 0-10, New 912 (old 2855/1470) 0-02, New 723 (old 1322) 1-03.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 6/31/97-न्याय/898-903.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके डॉ. शहाबुद्दीन को उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति तिथि 4-1-2006 से शीघ्र निपटान (फास्ट ट्रेक) न्यायालय के तब विद्यमान रिक्त गैर संवर्ग पदों में से एक पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 6/31/97-Judl./ 898-903.— The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint Dr. Shahabuddin to Delhi Higher Judicial Service on ad hoc basis against one of the then existing vacant ex-cadre posts meant for Fast Track Courts, w.e.f. 4-1-2006, the date his juniors were promoted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 7 (400)/नीति/वैट/2011/355-368.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, एतद्द्वारा ई-भुगतान के लिए पूर्व प्रदत्त योजना के अन्तर्गत दो और बैंकों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कर अर्थदंड, ब्याज या अन्य किसी प्रकार के देय के ई-भुगतान के लिए सम्मिलित करता हूँ ।

अधिसूचना फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/929, दिनांक 17-3-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/341, दिनांक 8-9-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/130, दिनांक 15-6-2009; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/864, दिनांक 2-3-2010; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/1878-89, दिनांक 6-1-2011 और फा. सं. 7 (400)/नीति/वैट/2011/280-292, दिनांक 6-7-2011 के द्वारा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त निम्न दो बैंक भी ई-भुगतान के लिए अधिसूचित किए जाते हैं ।

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ।

उपरोक्त बैंकों के खाताधारक डीलर्स, जिनका कर निर्धारण मासिक है इस ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करेंगे तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत देय कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्य किसी भी प्रकार के देय का भुगतान अनिवार्यत: ई-भुगतान द्वारा करेंगे । दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम 3 के उद्देश्य से यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नम्बर (19 डिजीट सी. आई. ए.) वाले चालान का सी पार्ट रिटर्न के साथ भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उपरोक्त सी. आई. एन. इन्टरनेट के द्वारा भुगतान के समय संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा चालान के सी पार्ट पर अंकित किया जायेगा ।

डीलर्स अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंकों से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे । इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं ।

उपरोक्त दोनों बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 7(400)/Policy/VAT/2011/355-368.—In exercise of the powers conferred under sub-rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby include two more banks in the already provided scheme for payment of tax, interest, penalty or any other dues under the DVAT Act, 2004, through electronic payment.

In addition to the already notified banks *vide* notifications No.F.7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/929 dated 17-3-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT /2005-06/341 dated 8-9-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT/2005-06/130 dated 15-06-2009; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/864 dated 2-3-2010; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/1878-89, dated 6-1-2011, and No. 7(400)/Policy/VAT/2011/280-292 dated 6-7-2011 the following banks are authorized to extend 'e'-payment facilities to the dealers: —

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India.

Dealers having bank accounts with these banks and having monthly tax period shall avail of the 'e'-payment facility compulsorily, for making payment of tax, interest, penalty or any other amount due under DVAT Act, 2004 . Part 'C'

of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Concerned Bank's website) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of Rule 28 of DVAT Rules, 2005.

The dealers will obtain signed and stamped copy of Part 'D' of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

These two banks shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 4 (3)/2008/यूडी/भाग 1/7659.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 3 के उप-उपनियम (3) में दी गई तालिका के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

उपयोग	घटक
"होटल (पंचतारा एवं पंचतारा से अधिक सुविधायुक्त)	4"

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 4 (3)/2008/UD/Pt.1/7659.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual Rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 24th February, 2009, in the table given in sub-Bye-Law 3 add at the following at the end of table:—

Use	Factor
"Hotel (5 star and above)	4"

सं. फा. 4(3)/2008/यूडी/भाग 1 7669.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 5 के उप-उपनियम (2) के उपरान्त, निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

"बशर्ते उप-उपनियम (1) के खण्ड (क्लाज)(3) एवं (5) के संबंध में मूल्यांकन समिति वर्ष 2009-2010 के लिए अपनी अनुशंसाएं देगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

No. F. 4(3)/2008/UD/Pt.1/7669.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual-rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, dated 24th February, after sub-Bye-Law (2) of Bye-Law 5, add the following :—

"Provided that in respect of clause (iii) and (V) of sub-bye-law (1) the valuation committee shall give its recommendation for the year 2009-2010 as well."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 120] DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. एफ 9(4)/08/भू.व भ./भू.अ./5136.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनागत विकास हेतु महरौली नई दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)
महरौली	40–10		

खसरा नम्बर नया 941 (पुराना 1498) 3-13, नम्बर नया 942 (पुराना 1499) 0-13, नम्बर नया 943 (पुराना 1500) 0-11, नम्बर नया 945 (पुराना 1502) 1-18, नम्बर नया 946 (पुराना 1503) 0-11, नम्बर नया 952 (पुराना 1508) 1-03, नम्बर नया 953 (पुराना 1509), 1-04, नम्बर नया 954 (पुराना 1510) 0-08, नम्बर नया 955 (पुराना 1511) 0-09, नम्बर नया 963 (पुराना 1519) 1-03, नम्बर नया 703 (पुराना 1303) 0-13, नम्बर नया 704 (पुराना 1304) 0-18, नम्बर नया 705 (पुराना 1305) 0-19, नम्बर नया 707(पुराना

1307) 0-18, नम्वर नया 710 (पुराना 1309) 0-18, नम्बर नया 711 (पुराना 1310) 1-14, नम्बर नया 712 (पुराना 1311) 1-10, नम्बर नया 713 (पुराना 1312) 1-10, नम्वर नया 714 (पुराना 1313) 0-17 नम्बर नया 715 (पुराना 1314) 0-17, नम्बर नया 716 (पुराना 1315) 4-16, नम्बर नया 717 (पुराना 1316) 4-05, नम्बर नया 718 (पुराना 1317) 2-05, नम्बर नया 736(पुराना 1329) 4-02, नम्बर नया 738 (पुराना 1331) 1-00 नम्बर नया 739 (पुराना 1332) 0-17, नम्बर नया 740 (पुराना 1333) 1-18, नम्बर नया 743 (पुराना 1336) 0-15, नम्बर नया 914 (पुराना 1472) 0-10, नम्बर नया 918 (पुराना 2695/1475) 0-10, नम्बर नया 912 (पुराना 2855/1470) 0-02, नम्बर नया 723 (पुराना 1322) 1-03.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 9(4)/08/L & B/LA/5136.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi (PDD) at Mehrauli, New Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Mehrauli	44 Bigha 10 Biswa		

Khasra No. New 941(old 1498) 3-13, New 942 (old 1499) 0-13, New 943 (old 1500) 0-11, New 945 (old 1502) 1-18, New 946 (old 1503) 0-11, New 952(old 1508) 1-03, New 953 (old 1509) 1-04, New 954 (old 1510) 0-08, New 955 (old 1511) 0-09, New 963 (old 1519) 1-03, 703 (old 1303) 0-13, New 704 (old 1304) 0-18, New 705 (old 1305) 0-19, New 707(old 1307) 0-18, New 710 (old 1309) 0-18, New 711(old 1310) 1-14, New 712 (old 1311) 1-10, New 713 (old 1312) 1-10, New 714 (old 1313) 0-17, New 715 (old 1314) 0-17, New 716 (old 1315) 4-16, New 717 (old 1316) 4-05, New 718 (old 1307) 2-05, New 736 (old 1329) 4-02, New 738 (old 1331) 1-00, New 739 (old 1332) 0-17, New 740 (old 1333) 1-18, New 743 (old 1336) 0-15, New 914 (old 1472) 0-10, New 918 (old 2695/1475) 0-10, New 912 (old 2855/1470) 0-02, New 723 (old 1322) 1-03.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 6/31/97-न्याय/898-903.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके डॉ. शहाबुद्दीन को उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति तिथि 4-1-2006 से शीघ्र निपटान (फास्ट ट्रेक) न्यायालय के तब विद्यमान रिक्त गैर संवर्ग पदों में से एक पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 6/31/97-Judl./ 898-903.— The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint Dr. Shahabuddin to Delhi Higher Judicial Service on ad hoc basis against one of the then existing vacant ex-cadre posts meant for Fast Track Courts, w.e.f. 4-1-2006, the date his juniors were promoted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 7 (400)/नीति/वैट/2011/355-368.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, एतद्द्वारा ई-भुगतान के लिए पूर्व प्रदत्त योजना के अन्तर्गत दो और बैंकों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कर अर्थदंड, ब्याज या अन्य किसी प्रकार के देय के ई-भुगतान के लिए सम्मिलित करता हूँ।

अधिसूचना फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/929, दिनांक 17-3-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/341, दिनांक 8-9-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/130, दिनांक 15-6-2009; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/864, दिनांक 2-3-2010; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/1878-89, दिनांक 6-1-2011 और फा. सं. 7 (400)/नीति/वैट/2011/280-292, दिनांक 6-7-2011 के द्वारा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त निम्न दो बैंक भी ई-भुगतान के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

उपरोक्त बैंकों के खाताधारक डीलर्स, जिनका कर निर्धारण मासिक है इस ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करेंगे तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत देय कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्य किसी भी प्रकार के देय का भुगतान अनिवार्यतः ई-भुगतान द्वारा करेंगे। दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम 3 के उद्देश्य से यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नम्बर (19 डिजीट सी. आई. ए.) वाले चालान का सी पार्ट रिटर्न के साथ भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उपरोक्त सी. आई. एन. इन्टरनेट के द्वारा भुगतान के समय संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा चालान के सी पार्ट पर अंकित किया जायेगा।

डीलर्स अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंकों से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं।

उपरोक्त दोनों बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 7(400)/Policy/VAT/2011/355-368.—In exercise of the powers conferred under sub-rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby include two more banks in the already provided scheme for payment of tax, interest, penalty or any other dues under the DVAT Act, 2004, through electronic payment.

In addition to the already notified banks *vide* notifications No.F.7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/929 dated 17-3-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT /2005-06/341 dated 8-9-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT/2005-06/130 dated 15-06-2009; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/864 dated 2-3-2010; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/1878-89, dated 6-1-2011, and No. 7(400)/Policy/VAT/2011/280-292 dated 6-7-2011 the following banks are authorized to extend 'e'-payment: facilities to the dealers: —

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India.

Dealers having bank accounts with these banks and having monthly tax period shall avail of the 'e'-payment facility compulsorily, for making payment of tax, interest, penalty or any other amount due under DVAT Act, 2004 . Part 'C'

of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Concerned Bank's website) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of Rule 28 of DVAT Rules, 2005.

The dealers will obtain signed and stamped copy of Part 'D' of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

These two banks shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 4 (3)/2008/यूडी/भाग 1/7659.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 3 के उप-उपनियम (3) में दी गई तालिका के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

उपयोग	घटक
"होटल (पंचतारा एवं पंचतारा से अधिक सुविधायुक्त)	4"

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 4 (3)/2008/UD/Pt.1/7659.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual Rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 24th February, 2009, in the table given in sub-Bye-Law 3 add at the following at the end of table:—

Use	Factor
"Hotel (5 star and above)	4"

सं. फा. 4(3)/2008/यूडी/भाग 1 7669.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 5 के उप-उपनियम (2) के उपरान्त, निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

"बशर्ते उप-उपनियम (1) के खण्ड (क्लाज)(3) एवं (5) के संबंध में मूल्यांकन समिति वर्ष 2009-2010 के लिए अपनी अनुशंसाएं देगी।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

No. F. 4(3)/2008/UD/Pt.1/7669.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual-rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, dated 24th February, after sub-Bye-Law (2) of Bye-Law 5, add the following :—

"Provided that in respect of clause (iii) and (V) of sub-bye-law (1) the valuation committee shall give its recommendation for the year 2009-2010 as well."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 120] DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. एफ 9(4)/08/भू.व भ./भू.अ./5136.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनागत विकास हेतु महरौली नई दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)
महरौली	40–10		

खसरा नम्बर नया 941 (पुराना 1498) 3-13, नम्बर नया 942 (पुराना 1499) 0-13, नम्बर नया 943 (पुराना 1500) 0-11, नम्बर नया 945 (पुराना 1502) 1-18, नम्बर नया 946 (पुराना 1503) 0-11, नम्बर नया 952 (पुराना 1508) 1-03, नम्बर नया 953 (पुराना 1509), 1-04, नम्बर नया 954 (पुराना 1510) 0-08, नम्बर नया 955 (पुराना 1511) 0-09, नम्बर नया 963 (पुराना 1519) 1-03, नम्बर नया 703 (पुराना 1303) 0-13, नम्बर नया 704 (पुराना 1304) 0-18, नम्बर नया 705 (पुराना 1305) 0-19, नम्बर नया 707(पुराना

1307) 0-18, नम्बर नया 710 (पुराना 1309) 0-18, नम्बर नया 711 (पुराना 1310) 1-14, नम्बर नया 712 (पुराना 1311) 1-10, नम्बर नया 713 (पुराना 1312) 1-10, नम्बर नया 714 (पुराना 1313) 0-17 नम्बर नया 715 (पुराना 1314) 0-17, नम्बर नया 716 (पुराना 1315) 4-16, नम्बर नया 717 (पुराना 1316) 4-05, नम्बर नया 718 (पुराना 1317) 2-05, नम्बर नया 736(पुराना 1329) 4-02, नम्बर नया 738 (पुराना 1331) 1-00 नम्बर नया 739 (पुराना 1332) 0-17, नम्बर नया 740 (पुराना 1333) 1-18, नम्बर नया 743 (पुराना 1336) 0-15, नम्बर नया 914 (पुराना 1472) 0-10, नम्बर नया 918 (पुराना 2695/1475) 0-10, नम्बर नया 912 (पुराना 2855/1470) 0-02, नम्बर नया 723 (पुराना 1322) 1-03.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आंदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 9(4)/08/L & B/LA/5136.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi (PDD) at Mehrauli, New Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Mehrauli	44 Bigha 10 Biswa		

Khasra No. New 941(old 1498) 3-13, New 942 (old 1499) 0-13, New 943 (old 1500) 0-11, New 945 (old 1502) 1-18, New 946 (old 1503) 0-11, New 952(old 1508) 1-03, New 953 (old 1509) 1-04, New 954 (old 1510) 0-08, New 955 (old 1511) 0-09, New 963 (old 1519) 1-03, 703 (old 1303) 0-13, New 704 (old 1304) 0-18, New 705 (old 1305) 0-19, New 707(old 1307) 0-18, New 710 (old 1309) 0-18, New 711(old 1310) 1-14, New 712 (old 1311) 1-10, New 713 (old 1312) 1-10, New 714 (old 1313) 0-17, New 715 (old 1314) 0-17, New 716 (old 1315) 4-16, New 717 (old 1316) 4-05, New 718 (old 1307) 2-05, New 736 (old 1329) 4-02, New 738 (old 1331) 1-00, New 739 (old 1332) 0-17, New 740 (old 1333) 1-18, New 743 (old 1336) 0-15, New 914 (old 1472) 0-10, New 918 (old 2695/1475) 0-10, New 912 (old 2855/1470) 0-02, New 723 (old 1322) 1-03.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 6/31/97-न्याय/898-903.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके डॉ. शहाबुद्दीन को उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति तिथि 4-1-2006 से शीघ्र निपटान (फास्ट ट्रेक) न्यायालय के तब विद्यमान रिक्त गैर संवर्ग पदों में से एक पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 6/31/97-Judl./ 898-903.— The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint Dr. Shahabuddin to Delhi Higher Judicial Service on ad hoc basis against one of the then existing vacant ex-cadre posts meant for Fast Track Courts, w.e.f. 4-1-2006, the date his juniors were promoted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 7 (400)/नीति/वैट/2011/355-368.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, एतद्द्वारा ई-भुगतान के लिए पूर्व प्रदत्त योजना के अन्तर्गत दो और बैंकों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कर अर्थदंड, ब्याज या अन्य किसी प्रकार के देय के ई-भुगतान के लिए सम्मिलित करता हूँ ।

अधिसूचना फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/929, दिनांक 17-3-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/341, दिनांक 8-9-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/130, दिनांक 15-6-2009; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/864, दिनांक 2-3-2010; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/1878-89, दिनांक 6-1-2011 और फा. सं. 7 (400)/नीति/वैट/2011/280-292, दिनांक 6-7-2011 के द्वारा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त निम्न दो बैंक भी ई-भुगतान के लिए अधिसूचित किए जाते हैं ।

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ।

उपरोक्त बैंकों के खाताधारक डीलर्स, जिनका कर निर्धारण मासिक है इस ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करेंगे तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत देय कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्य किसी भी प्रकार के देय का भुगतान अनिवार्यत: ई-भुगतान द्वारा करेंगे । दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम 3 के उद्देश्य से यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नम्बर (19 डिजीट सी. आई. ए.) वाले चालान का सी पार्ट रिटर्न के साथ भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उपरोक्त सी. आई. एन. इन्टरनेट के द्वारा भुगतान के समय संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा चालान के सी पार्ट पर अंकित किया जायेगा ।

डीलर्स अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंकों से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे । इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं ।

उपरोक्त दोनों बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 7(400)/Policy/VAT/2011/355-368.—In exercise of the powers conferred under sub-rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby include two more banks in the already provided scheme for payment of tax, interest, penalty or any other dues under the DVAT Act, 2004, through electronic payment.

In addition to the already notified banks *vide* notifications No.F.7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/929 dated 17-3-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT /2005-06/341 dated 8-9-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT/2005-06/130 dated 15-06-2009; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/864 dated 2-3-2010; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/1878-89, dated 6-1-2011, and No. 7(400)/Policy/VAT/2011/280-292 dated 6-7-2011 the following banks are authorized to extend 'e'-payment facilities to the dealers: —

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India.

Dealers having bank accounts with these banks and having monthly tax period shall avail of the 'e'-payment facility compulsorily, for making payment of tax, interest, penalty or any other amount due under DVAT Act, 2004 . Part 'C'

of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Concerned Bank's website) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of Rule 28 of DVAT Rules, 2005.

The dealers will obtain signed and stamped copy of Part 'D' of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

These two banks shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 4 (3)/2008/यूडी/भाग 1/7659.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 3 के उप-उपनियम (3) में दी गई तालिका के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

उपयोग	घटक
"होटल (पंचतारा एवं पंचतारा से अधिक सुविधायुक्त)	4"

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 4 (3)/2008/UD/Pt.1/7659.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual Rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 24th February, 2009, in the table given in sub-Bye-Law 3 add at the following at the end of table:—

Use	Factor
"Hotel (5 star and above)	4"

सं. फा. 4(3)/2008/यूडी/भाग 1 7669.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 5 के उप-उपनियम (2) के उपरान्त, निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

''बशर्ते उप-उपनियम (1) के खण्ड (क्लाज)(3) एवं (5) के संबंध में मूल्यांकन समिति वर्ष 2009-2010 के लिए अपनी अनुशंसाएं देगी।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

No. F. 4(3)/2008/UD/Pt.1/7669.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual-rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, dated 24th February, after sub-Bye-Law (2) of Bye-Law 5, add the following :—

"Provided that in respect of clause (iii) and (V) of sub-bye-law (1) the valuation committee shall give its recommendation for the year 2009-2010 as well."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 95
No. 120] DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933 [N.C.T.D. No. 95

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. एफ 9(4)/08/भू.व भ./भू.अ./5136.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली के योजनागत विकास हेतु महरौली नई दिल्ली में भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है ।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (दक्षिण) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)
महरौली	40–10		

खसरा नम्बर नया 941 (पुराना 1498) 3-13, नम्बर नया 942 (पुराना 1499) 0-13, नम्बर नया 943 (पुराना 1500) 0-11, नम्बर नया 945 (पुराना 1502) 1-18, नम्बर नया 946 (पुराना 1503) 0-11, नम्बर नया 952 (पुराना 1508) 1-03, नम्बर नया 953 (पुराना 1509), 1-04, नम्बर नया 954 (पुराना 1510) 0-08, नम्बर नया 955 (पुराना 1511) 0-09, नम्बर नया 963 (पुराना 1519) 1-03, नम्बर नया 703 (पुराना 1303) 0-13, नम्बर नया 704 (पुराना 1304) 0-18, नम्बर नया 705 (पुराना 1305) 0-19, नम्बर नया 707(पुराना

1307) 0-18, नम्बर नया 710 (पुराना 1309) 0-18, नम्बर नया 711 (पुराना 1310) 1-14, नम्बर नया 712 (पुराना 1311) 1-10, नम्बर नया 713 (पुराना 1312) 1-10, नम्बर नया 714 (पुराना 1313) 0-17 नम्बर नया 715 (पुराना 1314) 0-17, नम्बर नया 716 (पुराना 1315) 4-16, नम्बर नया 717 (पुराना 1316) 4-05, नम्बर नया 718 (पुराना 1317) 2-05, नम्बर नया 736(पुराना 1329) 4-02, नम्बर नया 738 (पुराना 1331) 1-00 नम्बर नया 739 (पुराना 1332) 0-17, नम्बर नया 740 (पुराना 1333) 1-18, नम्बर नया 743 (पुराना 1336) 0-15, नम्बर नया 914 (पुराना 1472) 0-10, नम्बर नया 918 (पुराना 2695/1475) 0-10, नम्बर नया 912 (पुराना 2855/1470) 0-02, नम्बर नया 723 (पुराना 1322) 1-03.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 9(4)/08/L & B/LA/5136.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for Planned Development of Delhi (PDD) at Mehrauli, New Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (South) Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Mehrauli	44 Bigha 10 Biswa		

Khasra No. New 941(old 1498) 3-13, New 942 (old 1499) 0-13, New 943 (old 1500) 0-11, New 945 (old 1502) 1-18, New 946 (old 1503) 0-11, New 952(old 1508) 1-03, New 953 (old 1509) 1-04, New 954 (old 1510) 0-08, New 955 (old 1511) 0-09, New 963 (old 1519) 1-03, 703 (old 1303) 0-13, New 704 (old 1304) 0-18, New 705 (old 1305) 0-19, New 707(old 1307) 0-18, New 710 (old 1309) 0-18, New 711(old 1310) 1-14, New 712 (old 1311) 1-10, New 713 (old 1312) 1-10, New 714 (old 1313) 0-17, New 715 (old 1314) 0-17, New 716 (old 1315) 4-16, New 717 (old 1316) 4-05, New 718 (old 1307) 2-05, New 736 (old 1329) 4-02, New 738 (old 1331) 1-00, New 739 (old 1332) 0-17, New 740 (old 1333) 1-18, New 743 (old 1336) 0-15, New 914 (old 1472) 0-10, New 918 (old 2695/1475) 0-10, New 912 (old 2855/1470) 0-02, New 723 (old 1322) 1-03.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 6/31/97-न्याय/898-903.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके डॉ. शहाबुद्दीन को उनके कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति तिथि 4-1-2006 से शीघ्र निपटान (फास्ट ट्रेक) न्यायालय के तब विद्यमान रिक्त गैर संवर्ग पदों में से एक पद पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 6/31/97-Judl./ 898-903.— The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint Dr. Shahabuddin to Delhi Higher Judicial Service on ad hoc basis against one of the then existing vacant ex-cadre posts meant for Fast Track Courts, w.e.f. 4-1-2006, the date his juniors were promoted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 7 (400)/नीति/वैट/2011/355-368.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, एतद्द्वारा ई-भुगतान के लिए पूर्व प्रदत्त योजना के अन्तर्गत दो और बैंकों को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कर अर्थदंड, ब्याज या अन्य किसी प्रकार के देय के ई-भुगतान के लिए सम्मिलित करता हूँ।

अधिसूचना फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/929, दिनांक 17-3-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/341, दिनांक 8-9-2008; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/130, दिनांक 15-6-2009; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/864, दिनांक 2-3-2010; फा. सं. 7 (7)/नीति-III/वैट/2005-06/1878-89, दिनांक 6-1-2011 और फा. सं. 7 (400)/नीति/वैट/2011/280-292, दिनांक 6-7-2011 के द्वारा अधिसूचित बैंकों के अतिरिक्त निम्न दो बैंक भी ई-भुगतान के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

उपरोक्त बैंकों के खाताधारक डीलर्स, जिनका कर निर्धारण मासिक है इस ई-भुगतान सुविधा का उपयोग करेंगे तथा दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अंतर्गत देय कर, ब्याज, अर्थदंड या अन्य किसी भी प्रकार के देय का भुगतान अनिवार्यत: ई-भुगतान द्वारा करेंगे। दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम 3 के उद्देश्य से यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नम्बर (19 डिजीट सी. आई. ए.) वाले चालान का सी पार्ट रिटर्न के साथ भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उपरोक्त सी. आई. एन. इन्टरनेट के द्वारा भुगतान के समय संबंधित बैंक की वेबसाइट द्वारा चालान के सी पार्ट पर अंकित किया जायेगा।

डीलर्स अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंकों से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं।

उपरोक्त दोनों बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(POLICY BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 7(400)/Policy/VAT/2011/355-368.—In exercise of the powers conferred under sub-rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby include two more banks in the already provided scheme for payment of tax, interest, penalty or any other dues under the DVAT Act, 2004, through electronic payment.

In addition to the already notified banks *vide* notifications No.F.7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/929 dated 17-3-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT /2005-06/341 dated 8-9-2008; No. F. 7 (7)/Policy-III/VAT/2005-06/130 dated 15-06-2009; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/864 dated 2-3-2010; No. F. 7(7)/Policy-III/VAT/2005-06/1878-89, dated 6-1-2011, and No. 7(400)/Policy/VAT/2011/280-292 dated 6-7-2011 the following banks are authorized to extend 'e'-payment facilities to the dealers: —

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India.

Dealers having bank accounts with these banks and having monthly tax period shall avail of the 'e'-payment facility compulsorily, for making payment of tax, interest, penalty or any other amount due under DVAT Act, 2004 . Part 'C'

of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Concerned Bank's website) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of Rule 28 of DVAT Rules, 2005.

The dealers will obtain signed and stamped copy of Part 'D' of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

These two banks shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

शहरी विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. फा. 4 (3)/2008/यूडी/भाग 1/7659.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 3 के उप-उपनियम (3) में दी गई तालिका के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

उपयोग	घटक
"होटल (पंचतारा एवं पंचतारा से अधिक सुविधायुक्त)	4"

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 21st July, 2011

No. F. 4 (3)/2008/UD/Pt.1/7659.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual Rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, dated 24th February, 2009, in the table given in sub-Bye-Law 3 add at the following at the end of table:—

Use	Factor
"Hotel (5 star and above)	4"

सं. फा. 4(3)/2008/यूडी/भाग 1 7669.— दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV दिनांक 24 फरवरी, 2009 में प्रकाशित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (वार्षिक किराये का निर्धारण) उप-नियम 2009 से सम्बन्धित दिनांक 24 फरवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या फा. 4/3/2008-शहरी विकास 3356 में उप-नियम 5 के उप-उपनियम (2) के उपरान्त, निम्नलिखित को जोड़ा जाए:—

''बशर्ते उप-उपनियम (1) के खण्ड (क्लाज)(3) एवं (5) के संबंध में मूल्यांकन समिति वर्ष 2009-2010 के लिए अपनी अनुशंसाएं देगी।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

No. F. 4(3)/2008/UD/Pt.1/7669.—In the Notification No. F. 4/3/2008-UD/3356, dated 24th February, 2009 relating to the New Delhi Municipal Council (Determination of Annual-rent) Bye-Laws, 2009 published in Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, dated 24th February, after sub-Bye-Law (2) of Bye-Law 5, add the following :—

"Provided that in respect of clause (iii) and (V) of sub-bye-law (1) the valuation committee shall give its recommendation for the year 2009-2010 as well."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.